




- 151 संस्था/शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य धातुमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
  - 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा-निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा।
  - 171 राज्य सरकार द्वारा सम्म-सम्म पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
  - 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकाओं में रखा जायेगा।
  - 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के प्रधानमन्त्री के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- प्रतिबन्धक में लगे हुए शिक्षण पाठ्य पुस्तकें भी पढ़ाने की परवानगी या**  
**उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और**  
 यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की रुकावट या बाधा उत्पन्न करती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापूर्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

**श्री प्रकाश मुखर्जी**  
**संस्था सचिव**

प्रतिबन्धक एवं दिनांक तदीय

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
  - 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, **गोरखपुर**।
  - 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, **गोरखपुर**।
  - 4- निरीक्षक, आंगन भारतीय विद्यालय 30970, लखनऊ।
  - 5- प्रबंधक, **दिल्ली महिला शिक्षण संस्था**।
  - 6- गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा के  
  
**श्री प्रकाश मुखर्जी**  
**संस्था सचिव**